भारत सरकार इस्पात मंत्रालय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1355 09 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात का आयात

1355. श्री अजय निषाद:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में से प्रत्येक के दौरान देश में इस्पात के घरेलू उत्पादन और आयात की मात्रा का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इस अवधि के दौरान इस्पात के आयात से घरेलू विनिर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
- (घ) सरकार द्वारा देश में घरेलू इस्पात उद्योग के संरक्षण और घरेलू इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क): विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कुल तैयार इस्पात के घरेलू उत्पादन और कुल तैयार इस्पात के आयात की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

अवधि	कुल तैयार इस्पात	
	घरेलू उत्पादन की	आयात की मात्रा (एमटी में)
	मात्रा (एमटी में)	
2018-19	101.29	7.84
2019-20	102.62	6.77
2020-21	96.20	4.75
अप्रैल-दिसंबर 2021*	83.00	3.46
स्रोतः जेपीसी (संयुक्त संयंत्र समिति); एमटी=मिलियन टन; * अनंतिम		

- (ख) से (घ): विगत तीन वर्षों के दौरान इस्पात के आयात में गिरावट आई है। इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के नाते उत्पादन, आयात और निर्यात जैसे वाणिज्यिक निर्णय पूरी तरह बाजार आधारित होते हैं और ये निर्णय इस्पात कंपनियों द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर लिए जाते हैं। सुविधाप्रदाता के रूप में, सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:-
- i. मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।
- ii. घरेलू रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।
- iii. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करना।
- iv. इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण हेत् इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)।
- v. 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।
- vi. इस्पात क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और सुकर बनाने के लिए मंत्रालय में परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना।
